आवेदक द्वारा श्री राजेश शर्मा अधिवक्ता । अनावेदकगण अर्निवाहित ।

आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पर सुना गया उपरोक्त आवेदन में निवेदन किया गया है कि आवेदक को न्यायालय द्वारा दिनांक 23—7—16 को क्षतिपूर्ति की राशि दिलाये जाने का आदेश दिया गया था जो कि धनराशि जमा कर दी गई है। ऐसी दशा में उपरोक्त राशि दिलाये जाने का निवेदन किया गया है।

नाजिर रिपोर्ट के अनुसार प्र०कं० 13/13 क्लेम में चेक कं० 235900 दिनांक 12-8-16 के अनुसार राशि 154186/-रूपया जमा कराया जाकर शेष है।

उपरोक्त संबंध में विचार किया गया । अभिलेख का अवलोकन किया गया । इस न्यायालय के प्र0कं0 13/13 क्लेम में आदेश दिनांक 23—7—16 के अनुसार आवेदक को क्षातिप्रति की र शि 1,30000/—6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दावा प्रस्तुति दिनांक से भुगतान तक दिये जाने का आदेश दिया गया था । उपरोक्त राशि में से 30 प्रतिशत भाग सात वर्ष की अवधि के लिये एवं 30 प्रतिशत भाग पांच वर्ष के लिये किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के सावधि खाते में जमा किये जाने एवं शेष राशि नगद मुगतान किये जाने का आदेश दिया गया है । अतः उपरोक्त अनुसार जमा सुदा राशि का आवेदक को मुगतान किये जाने का आदेश दियाजाता है ।

परिणाम दर्ज कर दाखिल रिकार्ड हो

प्रथम दर्घात्मा तर् अधिकरण १०एम० ए० सा०टी गोहद गोहद जिला भिण्ड (म.प्र.) SHERMAN SELECTION